[illegible] व रेकार्ड की स्थिति में [illegible] एवं किसी दस्तावेज [illegible] रहन, बय, बख्शिश या अ[illegible]
करें जिससे प्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित हो। करें कोई परिवर्तन नहीं करें न करावें तथा ऐसा कोई [illegible] दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें न [illegible]
प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पा[illegible] यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया ग[illegible]
तथा प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना व्यर्थ हो जावेगा। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया [illegible]
साबित होकर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। मूलवाद के निर्णय में समय लगेगा
तब तक विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। परन्तु मौके पर विवाद होने की सम्भावना से दृष्टिगत उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः उभयपक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजीयात वाके मोजा ग्राम करथाना प0ह0 बडोलीघाटा तह0 निम्बाहेडा में स्थित है, जिसकी खाता सं0 303 होकर आराजी नं0 318 रकबा 0.4200 हेक्टैयर, आ0नं0 521 रकबा 1.9400 हेक्टैयर, आ0नं0 534 रकबा 0.1400 हेक्टैयर , आ0नं0 536 रकबा 0.6400 हेक्टैयर, आ0नं0 543 रकबा 0.0400 हेक्टैयर, आ0नं0 549 रकबा 0.8300 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.0100 हेक्टैयर भूमि की उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजीयात मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई जावे। विपक्षीगण को कोई एतराज हो तो वे अपना पक्ष/जबाब आगामी पेशी दिनांक 03.08.2022 को उपस्थित होकर पेश करें। विपक्षीगण को उक्त आशय का हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा जारी किया जावें। पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 03.08.2022 को पेश हो।

3/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी द्वारा मूल वाद को प्रत्याहरित कर उक्त प्रा०पत्र में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रा० पत्र को इसी स्टेज पर प्रत्याहरित कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

8.2.3[illegible] Note press

उपखण्ड [illegible] निम्बाहे[illegible]